ईपीएफ पर 2017–18 के लिए 8.55 फीसद ब्याज तय

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से 2017–18 के लिए पांच करोड़ अंशधारकों के खातों में 8.55 फीसद ब्याज डालने को कहा है। यह 2012–13 के बाद सबसे कम है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को लिखे पत्र के अनुसार श्रम मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2017–18 के लिए अंशधारकों के भविष्य निधि खातों में 8.55 फीसद ब्याज देने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में ईपीएफ पर 8.55 फीसद ब्याज देने को मंजूरी दी थी। लेकिन कर्नाटक चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से इसे लागू नहीं किया जा सका।

श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में 2017–18 के लिए 8.55 फीसद ब्याज देने का फैसला किया था।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए यह सिफारिश भेजी। हालांकि तब भी वित्त मंत्रालय की सहमति से इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसके बाद में 12 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इसमें और ज्यादा देरी हुई।

ईपीएफओ ने 2016–17 के लिए 8.65 फीसद ब्याज दिया था। वहीं 2015–16 में यह 8.8 फीसद, 2014–15 और 2013–14 में 8.75 फीसद था। 2012–13 में ईपीएफओ ने 8.5 फीसद ब्याज दिया था।

पेटीएम ने कहा, किसी तीसरे पक्ष को नहीं देते ग्राहकों की जानकारी

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)।

डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने शनिवार को कहा कि वह अपने ग्राहकों की जानकारी (डेटा) किसी तीसरे पक्ष या सरकार को नहीं देती है। कंपनी ने एक ब्लागपोस्ट में यह जानकारी दी है।

इसके अनुसार हम आप (उपयोगकर्ताओं) का डेटा कभी किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। पेटीएम में आपका डेटा, आपका ही है। हमारा नहीं, न ही किसी तीसरे पक्ष या सरकार का। कंपनी ने इसमें दावा किया है कि उसकी नीतियों के तहत किसी जांच के संबंध में कोई कानूनी आग्रह मिलने पर ही इस बारे में विचार करती है। इस बारे में सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो के संदर्भ में कंपनी का कहना है कि इसमें किया गया यह दावा गलत है कि कंपनी कुछ जानकारी तीसरे पक्षों के साथ साझा करती है।

रेलवे ने बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति की कार्ययोजना बनाई

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)।

रेलवे ने दादरी समेत देश के उत्तरी भागों में स्थित बिजलीघरों के लिए कोयला आपूर्ति बढ़ाने के वास्ते मालगाड़ी की उपलब्धता बढ़ाई है। उत्तर भारत के कुछ बिजलीघरों में कोयले का भंडार चिंताजनक स्तर पर पहुंचने के बीच रेलवे ने यह कार्ययोजना तैयार की है। केंद्र ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बिजली संयंत्रों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति हो।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि एनटीपीसी ने रेलवे के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी ने हर संयंत्र के लिए मासिक जरूरत के बारे में ब्योरा दिया है। 18 मई के लिए एनटीपीसी की तरफ से दी गई लोडिंग योजना के तहत दादरी को हर दिन पांच रैक की आपूर्ति की जानी है। दादरी संयंत्र को 24 मई तक रोजाना 4.94 रैक की आपूर्ति की जा रही है। इसमें और वृद्धि की जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि दादरी को शुक्रवार को आठ मालगाड़ियां उपलब्ध कराई गईं। दादरी और बदरपुर के बिजलीघरों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति की जाएगी। एक रैक में करीब 54 वैगन होते हैं। इसमें करीब 4,000 टन कोयले की आपूर्ति की जा सकती है। अधिकारी के अनुसार दादरी के लिए दैनिक आधार पर 6 से 7 रैक आपूर्ति करने की योजना है। उसने कहा कि बदरपुर बिजलीघर को रोजाना 1.5 रैक की जरूरत है लेकिन हम इस बिजलीघर को रोजाना दो रैक की आपूर्ति की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ बिजलीघरों में कोयले की कमी को देखते हुए आपूर्ति कार्ययोजना तैयार की गई है ताकि उत्तर भारत में बिजलीघरों को तत्काल ईंधन की आपूर्ति की जा सके।

दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ बिजलीघरों में कोयले की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। अगर ईंधन की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो दिल्ली में 'ब्लैक आउट' की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने इस बारे में कोयला और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भी लिखा।

रूस के साथ व्यापार व निवेश की काफी गुंजाइश: प्रभु

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के उद्योग मंत्री डेनिस मंतुरोव से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार व निवेश को और बढ़ाने के तौरतरीकों पर चर्चा की।

प्रभु ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है– भारत व रूस के व्यापार व निवेश रिश्ते बहुत मजबूत हैं जिनमें काफी बड़ी गुंजाइश है। हमें अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि सभी के लिए फायदे की बात हो। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की कंपनियों के लिए कृषि, रक्षा व लाजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक गुंजाइश है। मंत्री सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच 2018 में भाग लेने वहां आए हुए थे। प्रभु ने स्तावरोपोल के गवर्नर व्लादिमीर व्लादिमीरोव और रूस के पूर्व वित्त मंत्री अलेक्जेंद्र कोजलोव से भी मुलाकात की। इसके अलावा वे कई प्रतिनिधिमंडलों से मिले।

चांदी 350 रुपए टूटी, सोना भी नरम

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)।

नरम वैश्विक संकेतों के बीच उच्च स्तर पर स्थानीय सर्राफा कारोबारियों की मांग कमजोर पड़ने से शनिवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 105 रुपए घटकर 32,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। यह लगातार चार दिनों की तेजी के बाद की गिरावट है। चांदी भी औद्योगिक इकाइयों व सिक्का निर्माताओं की मांग घटने से 350 रुपए लुढ़ककर 41,200 रुपए किलोग्राम रह गई।

कारोबारियों ने बताया कि अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश के रूप में महंगी धातुओं की मांग कम हुई जिससे विदेशी बाजारों में सोने में नरमी रही। इसके अलावा घरेलू बाजार में ऊंचे स्तर पर स्थानीय मांग कमजोर रही। वैश्विक बाजार में न्यूयार्क में शुक्रवार को सोना 0.22 फीसद गिरकर 1,301.20 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.99 फीसद लुढ़ककर 16.47 डॉलर प्रति औंस रह गई।

राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 और 99.5 टंच सोना 105–105 रुपए गिरकर क्रम से 32,370 और 32,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले चार कारोबारी सत्रों में यह 600 रुपए मजबूत हुआ है। आठ ग्राम वाली गिन्नी 24,800 रुपए पर टिकी रही। चांदी हाजिर 350 रुपए लुढ़ककर 41,200 रुपए किलोग्राम रह गई। साप्ताहिक आपूर्ति वाली चांदी भी 495 रुपए टूटकर 40,265 रुपए किलोग्राम पर बोली गई। चांदी सिक्के में कोई बदलाव नहीं हुआ। सिक्का लिवाल 76 हजार रुपए और बिकवाल 77 हजार रुपए सैकड़े पर टिके रहे।

'पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के तहत लाने से दामों पर नहीं होगा ज्यादा असर'

पटना, 26 मई (भाषा)।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को माल व सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा।

जीएसटी नेटवर्क समिति के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे सुशील मोदी ने कहा कि लोगों में यह गलत धारणा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से उसकी कीमत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस कदम से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी लाने के संदर्भ में मामूली प्रभाव ही पड़ेगा। मोदी ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के तहत दुनिया भर में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य सबसे ऊंची जीएसटी दर के ऊपर भी कर लगाते हैं। जहां भी जीएसटी लागू हुआ है, वहां यही व्यवस्था अपनाई जाती है। सुशील मोदी राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति (एसएलबीसी) की 64वीं तिमाही बैठक की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

स्टार्टअप में निवेश करने वाले एंजल निवेशकों को आयकर छूट

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)। कर विभाग ने एंजल निवेशकों को नई पीढ़ी की कंपनियों यानी स्टार्टअप में किए जाने वाले उनके निवेश पर आयकर में छूट देने का फैसला किया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में 24 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि यह छूट 11 अप्रैल से प्रभावी होगी। इसके अनुसार यह कर छूट औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग के पिछले माह जारी शर्तों के हिसाब से ही देय होगी। इस शर्त के अनुसार उक्त निवेश के बाद ऐसे स्टार्टअप की शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही स्टार्टअप में शेयरों की ग्राहकी चाहने वाले एंजल निवेशकों को तय दायरे को भी पूरा करना होगा और उन्हें मर्चेंट बैंक से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी जिसमें शेयरों का उचित बाजार मूल्य बताया गया होगा। यह रिपोर्ट आयकर नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। सीबीडीटी ने इस मामले में आयकर कानून के नियम 11 यूए 2–बी में भी संशोधित किया है। इसके तहत ऐसे शेयर जिनका बाजार में मूल्य नहीं बताया जाता है उनके उचित बाजार मूल्य को तय करने के लिये मर्चेंट बैंकर के मूल्यांकन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें से 'लेखाकार' शब्द को हटा दिया गया है।

सभी आइटीआर फार्म ई-फाइलिंग के लिए जारी

नई दिल्ली, 26 मई (भाषा)।

आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आइटीआर) फार्म जारी कर दिए हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2018–19 के लिए नए आइटीआर फार्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे। विभाग ने एक बयान में कहा है कि 2018–19 के लिए सभी आइटीआर अब ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। कर विभाग आइटीआर फार्म पांच अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता है। करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करानी है।

सीबीडीटी ने कहा है कि सभी आइटीआर फार्म अब उसकी वेबसाइट पर आनलाइन दाखिल करवाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ ही श्रेणी के करदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

Deltron Limited

CIN No : L32109DL1982PLC013838

Regd Office: C-120, Naraina Industrial Area, New Delhi-110 028

E-mail : deltron1982@rediffmail.com, Web-site : www.deltronlimited.in

Extracts of Standalone Audited Results for the Quarter and Year Ended 31-03-2018

Rs in Lacs

Sl No.	Particulars	Quarter Ending		Year Ended	
		31-03-2018	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2017
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	26.91	36.78	75.44	100.77
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.54)	10.69	(17.77)	4.20
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.54)	10.69	(17.77)	4.20
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.39)	10.09	(16.85)	3.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)	1.98	4.37	(0.70)	11.91
6	Equity Share Capital	256.00	285.00	285.00	285.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				462.02
8	Earning Per Share of Rs 10/- each (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted	(0.19)	0.35	(0.58)	0.13

Notes : The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website deltronlimited.in.

For Deltron Limited
Sd/-
Kumar Srinivasan
Wholetime Director

Place : New Delhi
Date : 25.05.2018

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

CIN: L24241UP1981PLC005282

REGD. OFFICE: 51/47 NAYAGANJ, KANPUR - 208 001

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH-2018

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Corresponding 3 Months ended 31.03.2017 (Audited)
1.	Total income from operations	318.45	1256.09	365.41
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	51.65	(70.51)	(22.48)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	51.65	(70.51)	(22.48)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	60.26	(62.30)	(23.00)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	60.26	(62.30)	(23.00)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	194.82	253.93
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)	-	(7.33)	3.49

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com

For and on behalf of the Board of Directors
Dinesh Khandelwal
Director (Finance & CFO)
DIN: 00161831

Place: KANPUR
Date: 25.05.2018

यूको बैंक UCO BANK

(A Govt. of India Undertaking)

शाखा कार्यालय: प्रतिभूतिकृत ऋण शाखा, यूको बैंक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली

कब्जा सूचना [अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, एसीएम, भूतल, संसद मार्ग, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 21.7.2017 जारी कर ऋणधारकों मै. रॉयल इन्टरनेशनल, श्री संजय कुमार, पुत्र श्री अनिल कुमार एवं श्रीमती मंजू शरद, पत्नी श्री पी.के. शरद (पार्टनर्स) तथा गारन्टर श्री योगेश गुप्ता, पुत्र श्री प्रमोद गुप्ता को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.12.2016 को देय बकाया 30.6.2017 को रु. 20003578.72/– (रुपये दो करोड़ तीन हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र) (तथा 1.4.2017 से ब्याज) के साथ दर पर आगे का ब्याज, एवं आनुषंगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगेजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 23 मई, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगेजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.6.2017 को रु. 20003578.72/ (रुपये दो करोड़ तीन हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र) (तथा 1.4.2017 से आगे के ब्याज) एवं आगे का ब्याज तथा अनुषंगिक चार्जेज के लिये यूको बैंक, एसीएम, भूतल, संसद मार्ग, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती मंजू शरद, पत्नी श्री पी.के. शरद के नाम में प्रलेख सं. 5219 तिथि 11.7.1986 के माध्यम से सम्पत्ति प्लॉट नं. 22, ब्लॉक–डी, सेक्टर–30, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) भूमि के क्षेत्रफल की माप 310 वर्ग मी.

स्थान: नोएडा
तिथि: 25.05.2018

प्राधिकृत अधिकारी,
यूको बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

अंचल कार्यालय दिल्ली (उत्तर) 1398, प्रथम तल, चांदनी चौक, दिल्ली-110006, टेली. 011-23892936

शुद्धिपत्र

कृपया 23.05.2018 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित "ई–नीलामी बिक्री सूचना" का विज्ञापन देखें। क्रम सं. 2, आनंद पर्वत, नई दिल्ली शाखा–रविन्दर जीत सिंह वालिया में प्लॉट नं. गलत प्रकाशित हो गई है। सही प्लॉट नं. कृपया प्लॉट नं. यूएन/6–7 की जगह "प्लॉट नं. गीएन/6–7" पढ़ें। क्रम सं. 3, भगिरथ प्लेस, दिल्ली शाखा–दौलत राम नरेश कुमार में कब्जा की तिथि गलत प्रकाशित हो गई है। कब्जा की सही तिथि कृपया 11.07.2017 की जगह "22.02.2018" सांकेतिक कब्जा पढ़ें। क्रम सं. 9, पटपड़गंज रोड, नई दिल्ली शाखा–ज्ञान ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट में बयाना राशि गलत प्रकाशित हो गई है। कृपया सही बयाना राशि 13.27 की जगह "100.33" पढ़ें।

प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर.ओ. (उत्तर),
चांदनी चौक, दिल्ली

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

KASHMERE GATE BRANCH, Ritz Guest House, Chabi Ganj Rd, Kashmere Gate, नई दिल्ली-110006

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.3.2018 जारी कर ऋणधारकों एवं गारन्टरों 1) श्रीमती मंजू 2) श्रीमती सुनीता विजय, 3) श्री [illegible] प्रकाश विजय को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 39,76,628.16 (रुपये उन्तालीस लाख छिहत्तर हजार छह सौ अट्ठाईस एवं पैसे सोलह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 21.5.2018 को 3.40 अप. में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे की लागत, ब्याज के साथ 01.03.2018 को रु. 39,76,628.16 की राशि के लिए सिंडिकेट बैंक (शाखा) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत सम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

सम्पत्ति की अनुसूची

अचल सम्पत्ति का विवरण: "श्रीमती सुनीता विजय तथा श्रीमती मंजू के स्वामित्व में ग्राम [illegible] की टी एस्टेट के नाम से विदित, फेज़ II, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 की [illegible] सम्पत्ति समस्त भाग 137 वर्ग गज़, प्लॉट नं. 228, खसरा नं. 20/18 में [illegible] भाग तथा हिस्सा।" सम्पत्ति की चौहद्दी: उत्तर: 20 फीट सड़क, दक्षिण: 20 फीट [illegible], पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट।

तिथि: 24.5.2018
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

मामले में:
ओ.ए. नं. 590/2017
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — आवेदक
बनाम
श्री सिद्धार्थ चल एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में,

प्र. 1. श्री सिद्धार्थ चल, पुत्र श्री प्रेम आनंद, निवासी: फ्लैट नं. 2001, सिग्नेचर टावर, निकट एबीईएस इंजी. कॉलेज, गैमसान्ड क्रॉसिंग रिपब्लिक कुब्बन्यु, जीवीसी में, गाजियाबाद-201009

प्र. 2. श्रीमती प्रीति झा, पुत्री श्री भूषण किशोर झा, पत्नी श्री सिद्धार्थ चल, निवासी: फ्लैट नं. 2001, सिग्नेचर टावर, निकट एबीईएस इंजी. कॉलेज, गैमसान्ड क्रॉसिंग रिपब्लिक कुब्बन्यु, जीवीसी में, गाजियाबाद-201009

प्र. 3. मै. प्रीसो डेवलपर्स (इंडिया) प्रा.लि. पंजी. कार्यालय: डी-237, [illegible] (बैंक साइड) विवेक विहार, फेज़-1, दिल्ली-110095
साथ ही: प्लॉट नं. जीएच 12/2, सेक्टर सी 1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

जैसा कि ऊपर वर्णित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सूचना सर्व करना संभव नहीं है। अतः विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 8.6.2018 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर 16 अप्रैल, 2018 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी III, नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: विकास मीनार, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [देखें नियम-8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मीनार, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना 17.2.2018 को जारी कर ऋणधारकों: श्री त्रिलोक चन्द शर्मा एवं अचला देवी/ गारन्टर: श्री नागेन्द्र तिवारी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 9,06,678/– (रुपए नौ लाख छह हजार छह सौ अठहत्तर मात्र) तथा आगे का ब्याज एवं चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि, आज, दिनांक 22.05.2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 9,06,678/– (रुपए नौ लाख छह हजार छह सौ अठहत्तर मात्र) तथा आगे के ब्याज एवं चार्जेज के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मीनार, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

सम्पत्ति का विवरण

अधोलिखित में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा: श्री त्रिलोक चन्द शर्मा तथा अचला देवी के नाम में सम्पत्ति (ए) 360/ 5ई/ 2ए (खसरा नं. 1590/624), ग्रा तल, गली नं. 7, भोला नाथ नगर, चन्द्रावली (शाहदरा) दिल्ली 110032

चौहद्दी:
पूर्व: अन्य की सम्पत्ति
उत्तर: अन्य की सम्पत्ति
पश्चिम: गली नं. 7
दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22.05.2018

प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पूर्वोत्तर रेलवे ई–टेन्डरिंग निविदा सूचना सं० 14/2018

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मंडल रेल प्रबन्धक (इंजी०) पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई–टेण्डरिंग) के माध्यम से "खुली" निविदा आमंत्रित करते हैं।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रुपयों में)	बयाना राशि (रुपयों में)
क्रम सं०–1, (1) इज्जतनगर में सर्विस बिल्डिंग के शेष कार्य का फ्लाड हेतु सुधार कार्य। (2) इज्जतनगर स्टेशान पर वर्तमान द्वार, कन्क्रीट एवं एप्रोच रोड सुधार कार्य एवं कार पार्किंग, आटो पार्किंग में वृद्धि करते हुये सुधार करने का कार्य।	₹ 1,98,27,370.26	₹ 2,49,140/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 5,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 09 माह।		
क्रम सं०–2, इज्जतनगर मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय में अग्निशमन प्रणाली लगाने का प्रावधान।	₹ 66,82,293.89	₹ 1,33,650/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 5,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह।		
क्रम सं०–3, इज्जतनगर मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय में स्टाफ कैन्टीन, सीजीए रूम, आर.पी.एफ. बैरक का नवीनीकरण और इंजीनियरिंग, लेखा, नियंत्रण कार्यालय में विविध मरम्मत का कार्य एवं कार्यालय में सीमा दीवार को मजबूत करने के साथ–साथ अधिकारी चैम्बर के लिये विविध मरम्मत का कार्य।	₹ 98,24,973.77	₹ 1,96,500/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 5,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह।		
क्रम सं०–4, मुरादाबाद–रामनगर अनुभाग में अनारक्षित समपार संख्या 24/सी को बन्द करके रक्षित समपार संख्या 23/सी को लिंक रोड से जोड़ने का कार्य एवं पीलीभीत–टनकपुर अनुभाग में रक्षित समपार संख्या 27 पी.टी. एवं रक्षित समपार संख्या 29 पी.टी. को बन्द करके रक्षित समपार संख्या 28 पी.टी. से लिंक रोड द्वारा जोड़ने का कार्य।	₹ 2,15,41,861.71	₹ 2,57,720/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 10,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह।		
क्रम सं०–5, सहायक मंडल इंजीनियर/ पीलीभीत, काशीपुर एवं सलेमपुर कार्यालय प्रयोग हेतु (तीन नग) हल्का वाहन टाटासूमो/मार्शल/ बोलेरो या समकक्ष किराये पर लेने का कार्य। (तीन एसी)	₹ 13,35,327.48	₹ 26,710/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 2,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 12 माह।		
क्रम सं०–6, यांत्रिक कारखाना, इज्जतनगर के बैटरी अनुभाग में 2 टन की क्रेन हेतु फाउन्डेशन कार्य।	₹ 8,15,008.19	₹ 16,310/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 2,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह।		
क्रम सं०–7, कासगंज, गुलरभोज एवं टनकपुर स्टेशन पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति।	₹ 1,17,75,087.65	₹ 2,08,880/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 5,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 03 माह।		
क्रम सं०–8,(1) कछला (हाल्ट) स्टेशन में मौजूदा प्लेटफार्म का नवीनीकरण, अतिरिक्त 2 नम्बर टैम्पहाम, प्लेटफार्म और स्टेशन बिल्डिंग के बीच नाली का नवीनीकरण, सिंकिंग क्षेत्र में फर्श की मरम्मत, नई आर.सी.सी. स्थान पर लगाना। (2) कछला (हाल्ट) स्टेशन पर पी.पी. शेल्टर में दो अतिरिक्त बैन्च का प्रावधान, दो नग इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प का प्रावधान, इण्डिया मार्क बोरवेल इलेक्ट्रिकल वाटर सप्लाई पाईप का प्रावधान, कछला ब्रिज स्टेशन के प्लेटफार्म के दोनों छोर पर टायलेट का प्रावधान।	₹ 10,75,505.52	₹ 41,520/-
	निविदा प्रपत्र का मूल्य: ₹ 5,000/-	
स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि: 06 माह।		

(1) ई–निविदा दिनांक 18.06.2018 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा कर सकेंगे।
(2) ई–निविदा की प्रस्तुति हेतु पूर्ण विवरण भारतीय रेलवे की IREPS वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

मुजाफ/जसपू–50

मण्डल रेल प्रबन्धक (इन्जी०), इज्जतनगर

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं० 09794845955 पर एसएमएस करें।

"रेलवे फाटक सावधानीपूर्वक पार करें"

अधिशासी अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण खण्ड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ ई-निविदा सूचना सं.- 08/2018-19 अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई-निविदा सूचना संख्या 08/2018-19 द्वारा अधोलिखित जानपदीय कार्यो हेतु इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली के अन्तर्गत ई-टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा अभिलेख/ प्रपत्र दिनांक 26.06.2018 को पूर्वान्ह 12.00 बजे तक ऑनलाइन उक्त ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें डाउनलोड कर निविदादाता द्वारा अपलोड किया जा सकता है एवं निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अधिशासी अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण खण्ड मेरठ के बैंक चालू खाता सं. 2512002100023327, IFS Code: PUNB0251200 पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन्स, साकेत, मेरठ (उ.प्र.) में आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से जमा कराई जाये तथा बैंक में जमा किये जाने का साक्ष्य यथा योजना यूटीआर संख्या, खाते का नाम, निर्गत कर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित पे-इन स्लिप की स्कैन्ड कॉपी एनआईसी पोर्टल पर ई-टैण्डर प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड की जायेगी। निविदा अभिलेख भाग- प्रथम, दिनांक 26.06.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण खण्ड मेरठ में खोले जायेंगे। निविदा भाग-द्वितीय बाद में एनआईसी पोर्टल पर सूचित कर खोला जायेगा। विस्तृत विवरण एवं अन्य कोई सुधार/ परिवर्तन/ संशोधन/ विस्तार/ शुद्धिपत्र हेतु उक्त ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर देख सकते हैं। 1. निविदा विशिष्टीकरण सं.: 05/ 2018-19 मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम) मेरठ के कार्यालय के आगन्तुक कक्ष व कैम्प कार्यालय में आगन्तुकों के बैठने हेतु फर्नीचर का कार्य। धरोहर राशि रु. 2,500.00, समय 01 माह। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 590.00 (18% जी.एस.टी. सहित)। विस्तृत जानकारी के लिये निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉगइन करें। UPPTCL WEBSITE: www.upptcl.org, E-PROCUREMENT WEBSITE: http://etender.up.nic.in, राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं, हस्ता./- अधिशासी अभियंता, पत्रांक सं. 518/ विजा.प.ख./ मेरठ, दिनांक 23.05.2018

उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ई-निविदा सूचना इस कार्यालय के द्वारा निम्नलिखित कार्य/सामग्री की आपूर्ति सम्पादन हेतु अनुभवी, दक्ष एवं जी.एस.टी. में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विस्तृत विवरण ई-टेन्डर वेबसाइट www.etender.up.nic.in site पर उपलब्ध है। अतिअल्पकालीन ई निविदा संख्या टी 19/वि.प्रे.मं.प्र.का./ 2018 19 विद्युत प्रेषण खण्ड, प्रथम कानपुर के अन्तर्गत 132 के.वी. उपकेन्द्र जैनपुर पर 33 के.वी. वी.सी.बी. की रिपेयरिंग एवं ओवर हालिंग आदि का कार्य। ई-निविदा संख्या-टी-20/वि.प्रे.मं.पं.का./ 2018-19 विद्युत प्रेषण खण्ड, प्रथम कानपुर के अन्तर्गत 220 के.वी. उपसंस्थान बिठूर पर कूलिंग फैन की रिपेयरिंग एवं रिवाइन्डिंग सम्बन्धी समस्त कार्य। ई निविदा संख्या-टी-21/वि.प्रे.मं.पं.का./ 2018-19 विद्युत प्रेषण खण्ड, प्रथम कानपुर के अन्तर्गत 220 के.वी. उपकेन्द्र आर.पी.एच. मल्टीप्लेक्स सिस्टम की सर्विसिंग एवं ओवरहालिंग सम्बन्धी समस्त कार्य। ई-निविदा संख्या-टी-22/वि.प्रे.मं.प्र.का./ 2018-19 विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र पनकी पर लाईटिंग सामग्री की आपूर्ति। ई-निविदा संख्या-टी-23/वि.प्रे.मं.पं.का./2018 19 विद्युत 220 के.वी. उपकेन्द्र पनकी पर लान की लाईटिंग लगाने सम्बन्धी समस्त कार्य। ई निविदा संख्या टी 24/वि.प्रे.मं.प.का./2018 19 विद्युत प्रेषण खण्ड, प्रथम कानपुर के अन्तर्गत 132 के.वी. उपसंस्थान जैनपुर पर एयर कन्डीशनर उपलब्ध कराकर लगाने आदि का कार्य। ई-निविदा संख्या-टी-25/वि.प्रे.मं.पं.का./2018-19 विद्युत 220 के.वी. उपकेन्द्र पनकी पर 220 के.वी. ए एण्ड बी बस के अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य। ई-निविदा संख्या-टी-26/वि.प्रे.मं.पं.का./ 2018 19 विद्युत 220 के.वी. उपसंस्थान पनकी पर परिवर्तकों की कूलिंग फैन की रिपेयरिंग एवं ओवरहालिंग सम्बन्धी समस्त कार्य। ई-निविदा संख्या टी 27/वि.प्रे.मं.प.का./2018 19 विद्युत 220 के.वी. उपसंस्थान पनकी पर 33 के.वी. कैपेसिटर बैंक की रिपेयरिंग एवं पेन्टिंग सम्बन्धी समस्त कार्य। ई-निविदा संख्या-टी-28/वि.प्रे.मं.पं.का./ 2018-19 विद्युत 220 के.वी. उपकेन्द्र पनकी पर 132 के.वी. ए एण्ड बी बस के अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य। हस्ता./ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मंडल, प्रथम पनकी, कानपुर "राष्ट्र हित में बिजली बचाएं" उपभोक्ता सेवा हेतु सम्पर्क करें- www.upptcl.org पत्रांक- 616/ वि.प्रे.मं.प. (का.)/टी.-1 दिनांक 26.05.2018